भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-362

उत्तर देने की तारीख-23/07/2025

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अनियमितताएं

362 **श्री जावेद अली खान:**

श्री रामजी लाल सुमन:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय(बीएचयू)द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के दिनांक 09.01.2024 के पत्र के प्रत्युत्तर में दिनांक 27.01.2024 की अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं की जांच हेतु एक तथ्यान्वेषी समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तथ्यान्वेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं की है और विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है तथा यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी;

(घ) क्या सरकार इसकी जांच करेगी और इस संबंध में जिम्मेदारी तय करेगी;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 09.01.2024 के पत्र, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों को संप्रेषित किया गया था, के अनुसरण में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति ने दिनांक 14.03.2024 को बीएचयू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और बीएचयू द्वारा दिनांक 05.06.2025 को सीवीसी को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। चूंकि बीएचयू एक स्वायत्त संगठन है, जो समय-समय पर यथासंशोधित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 और उसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों/अध्यादेशों/नियमों और विनियमों द्वारा शासित है, इसलिए अनियमितताओं की शिकायतों से निपटने के लिए इसकी अपनी सुपरिभाषित संगठनात्मक व्यवस्था है।

****